

FORM OF HEADING OF DEPOSITION

NDPS Case No. 12 of 2020

Deposition of witness No. 01 for the prosecution PW aged about years taken on solemn affirmation on the **24/03/2025**

My name - **Gorelal Singh**

I am the S/o D/o W/o - Late Matukdhari Singh

My age is years. I am by religion Hindu My nationality is Indian.

My home is at mauza Barauta, Police Station- Narhat, District- Nawada

I reside at present in mauza Rivilganj, Police station Rivilganj, District Saran where I am S.I. .

On Oath :-

मुख्यापरीक्षण

1. घटना 28.06.2020 की है। उस समय मैं मठिहानी थाना में एसआई के पद पर पदस्थापित थे। रात्रि गश्ती में खोरमपुर ढाला से थाना की ओर आ रहे थे तो पुराना थाना चौक हनुमान मंदिर के पास एक उजला रंग का जैस्ट कार जिसका रजि० नम्बर बी० आर० 50 पी० 3816 था। पुलिस गाड़ी को देख कर उक्त गाड़ी घुमाने का कोशिश किया तो साथ के सशस्त्र बल द्वारा घेराबंदी कर गाड़ी को रोका गया। गाड़ी का डीक्की खुलावाया गया जिसमें दो बैग जिसमें एक काला रंग का एवं एक भूरा रंग का था, जिसमें दो-दो पैकेट प्लास्टिक से लपेटा हुआ गांजा था। थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह को सूचना दिया वे आए एवं गांजा को जप्त कर जप्ती सूची बनाए।
2. ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम शम्भू था जिसे देख कर पहचान लेंगे एवं ड्राइवर के बगल में चंदन कुमार था जिसे देख कर पहचान सकते हैं। (आज तीनों अभियुक्त अनुपस्थित हैं एवं उनका प्रतिनिधित्व का आवेदन है) तीसरे अभियुक्त को नहीं पहचानता हूं।
3. शम्भू और चंदन से पुछा था कि गांजा कहा ले जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि मुकेश झा के कहने पर गांजा को उसके घर पर पहुंचाने जा रहे थे।

*****प्रतिपरीक्षण अभियुक्त शम्भू की ओर से श्री शीलाकांत मनबन्स*****

4. दिनांक 28.06.2020 को जिस गश्ती दल में था उस गश्ती दल में थाना अध्यक्ष मठिहानी भी थे। जिस गाड़ी से हम लोग गश्ती से गए थे उस गाड़ी का नम्बर याद नहीं है, लेकिन वह सरकारी वाहन था। सरकारी वाहन को गश्ती में इस्तेमाल करने के लिए उसका लॉग बुक बनाया जाता है या नहीं, हम नहीं जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं इस तथ्य को छिपा रहा हूं। मैं 1987 से आरक्षी सेवा में हूं। मैं कई बार गश्ती में गया हूं।
5. अभियुक्त से पुछताछ करने के लिए थाना अध्यक्ष ने मुझे मौखिक आदेश दिया था। जप्ती सूची बनते समय थाना कांड संख्या दर्ज हुआ था या नहीं, मुझे याद नहीं। गाड़ी का नम्बर मैंने गाड़ी

की नम्बर प्लेट पर देखा था। उस गाड़ी का नम्बर प्लेट प्राइवेट गाड़ी का या टैक्सी गाड़ी था, नहीं बता सकता। दोनो गाड़ी का नम्बर प्लेट अगल अगल होता है। कथित गाड़ी से और क्या क्या जप्त हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।

6. गश्ती दल के पास कोई तराजू नहीं था, तराजू बगल के घर कारी सिंह के घर से मंगवाया गया था, जो रोड के बगल में था।
7. ऐसी बात नहीं है कि घटना के दिन घटना स्थल पर कोई गश्ती दल नहीं गया था एवं अभियुक्तों से कानूनी रूप से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था जो बरामद हुआ था गैर कानूनी रूप से बरामद हुआ था।

*****प्रतिपरीक्षण शेष अभियुक्त की ओर से श्री ललन कुमार*****

8. मैं मुकेश झा को जानता पहचानता नहीं हूँ, एवं उसको घटना स्थल पर नहीं देखा था।

उक्त ब्यान मेरे द्वारा न्यायालय में दिया गया है तथा जिसे सुनने/पढ़ने के पश्चात सही पाये जाने पर न्यायालय में अपना अंगूठा/हस्ताक्षर लगा रहा/रही हूँ।

24/03/25
24.3/25
गवाह का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

Typed by Deposition writer under my direction, corrected and Signed by me.

[Signature]
Deposition Writer
24/03/2025

[Signature]
24/03/25
Distd Addl. Sessions Judge – I-cum,
Spl. Judge NDPS Act., Begusarai
24/03/2025